Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 21-03-2006

Participants : Singh Shri Ganesh

an>

Title : Need to provide Central assistance to Madhya Pradesh in view of loss of life and property due to severe hailstorm and incessant rain in the State.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विाय को लेकर पहले भी इस सदन में चर्चा हुई है लेकिन लगातार केन्द्र सरकार की उपेक्षा के चलते मुझे पुनः उस बात को यहां कहना पड़ रहा है। अन्य राज्यों में जब प्राकृतिक आपदा आती है तो केन्द्रीय सरकार मदद करती हैं लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 दिनों से प्राकृतिक आपदा के चलते जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, उस पर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं उस विाय को यहां पर रखना चाहता हूं।

मार्च के प्रथम पखवाड़े में मध्य प्रदेश में हुई भीाण ओलावृटि तथा तेज बारिश ने प्रदेश के 44 जिलों को तबाह कर दिया है जिससे किसानों की फसल तथा जनधन की भारी हानि हुई है। प्रथम दो सर्वे रिपोर्टों में 672 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है और पूरी रिपोर्ट आने पर एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की हानि का अनुमान है।

राज्य शासन ने आर.बी.सी. एक्ट में सुधार कर पहले जो मदद दी जाती थी उसको दुगना प्रावधान करके किसानों को युद्ध स्तर पर सहायता पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अब किसानों को 500 से लेकर 20 हजार रुपये तक प्रति हैक्टेयर मदद दी जा सकेगी।

हम सभी सदस्यों ने इसी सदन में प्रधान मंत्री जी से मांग की थी कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा के समय अन्य राज्यों को केन्द्र सरकार मदद पहुंचाती है उसी तरह मध्य प्रदेश के किसानों को भी मदद पहुंचाई जाये। हमने मांग की थी कि केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा जाये तथा राज्य को एक हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाये। लेकिन दुर्भाग्य है कि केन्द्र सरकार ने अभी तक न तो अध्ययन दल वहां भेजा है और न ही किसी तरह की आर्थिक सहायता ही दी है जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ओला पीड़ित किसानों के खेत-खेत जाकर किसानों पर आई प्राकृतिक विपत्ति में उनको मदद पहुंचा रहे हैं। माननीय कृाि मंत्री जी को राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें राट्रीय फसल बीमा योजना में अभी तक जो इकाई तय की है इसमें संशोधन कर इकाई किसानों के खेत को बना दिया जाए मेरी मांग है कि जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया है उसे केन्द्र सरकार स्वीकार करे और ऐसी प्राकृतिक आपदा में फसल बीमा का लाभ इसी वर्ा किसानों को मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए।